Uniform pattern for Cash Awards to P. V. C. winners

9055. SHRI BRIJRAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is no uniform pattern to give cash awards to the winners of Param Vir Chakra medal by the various State Governments; and

(b) whether Government propose making uniform pattern to exist in all the States?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) There are variations in the cash awards prescribed by various State Governments.

(b) Since the cash rewards are *ex-gratia* payments sanctioned by the State Governments out of thair own revenues, it would not be practicable to lay down any uniform scale of cash rewards to be adopted by all the state Governments.

Presence of Gold-Bearing Rocks in Amarkote Area of Koraput District in Orissa

9056. SHRI GIRIDHAR GOMANGO :

SHRI D. K. PANDA :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the State Mining Directorate of Orissa during regional survey has come across some rocks which are to be gold-bearing in Amarkote area of Koraput District in Orissa; and

(b) if so, the steps taken by the Government of Orissa and the Government of India so far in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA) : (a) Yes, Sir.

(b) The area is still under investigation. Laboratory analysis is in progress and samples are under study.

12.00 *hrs.*

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported strike by Textile Workers of Delhi

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली के लगभग 27,000 कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल और उसके परिणामस्वरूप हुई लूट, आगजनी तथा हिंसा की घटनाओं के समाचार।"

अध्यक्ष जी, इस बारे में हमें पहले कोई वक्तव्य नहीं मिला है।

THE MINISTFR OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : Sir, the employees in the five textile mills in Delhi, namely, (i) Delhi Cloth Mills, (ii) Swatantra Bharat Mills, (iii) D.C.M. Silk Mills, (iv) Birla Cotton Spinning and Weaving Mills, and (v) Ajudhia Textile Mills are on strike from April 11, 1973. The unions had put forward several demands, but the main demand relates to the enhancement of dearness allowance, and pending settlement of this issue, payment of an interim relief of Rs. 50.00 per month. The dispute regarding the adequacy of dearness allowance had earlier been referred by the Delhi Administration for adjudication, on the basis of a settlement signed on 26th February, 1970 by the Kapra Mazdoor Ekta Union, Textile Mazdoor Sangh and Kapra Mill Mazdoor Sangh and the managements of the textile mills. Later on, however, the unions raised objections about the maintainability of the industrial dispute regarding dearness allowance before the Tribunal. The Tribunal

over-ruled the objections and held that the Tribunal had jurisdiction to deal with the dispute. The unions then filed a writ petition in the Delhi High Court. The Delhi Administration has stated that the matter is still pending as the stay granted by the High Court continues.

Following the strike notices by the unions, the Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration held discussions with the parties. Shri Bahl, Executive Councillor for Labour also held several discussions with the workers' and employers' representatives in an effort to promote an amicable settlement. A proposal put forward by the Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration provided for (a) 5 per cent increase in emoluments by way of an interim relief, and (b) arbitration of the dispute by Shri Hidayatullah retired Chief Justice of the Supreme Court. The proposal was, however, not acceptable to the workers who wanted a minimum interim relief of Rs. 30.00 per month, which the employers did not agree to.

While efforts to promote a reasonable settlement were continuing, the striking workers are reported to have held demonstrations. Acts of violence, arson etc. on April 30, 1973 in certain parts of Delhi have been reported. The Government deplores such acts of violence and arson and feel deeply concerned about the continued strike by the textile workers. There were no reports of incidents on May 2, 1973 and the situation is reported to be peaceful.

The Chief Labour Commissioner (Central) has been helping the Delhi Administration to promote an amicable settlement. Deputy Labour Minister and the Union Labour Minister have also held several rounds of discussions with the workers' and employers' representatives in an effort to bring about a reasonable settlement. The Minister of State for Home Affairs and the Union Minister for Home Affairs have also been holding discussions with the representatives of the workers and the management to resolve the dispute. No settlement has been possible so far. Government are continuing their efforts to bring about a reasonable settlement to secure the end of the strike as early as possible.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि दिल्ली के 27,000 कपड़ा मजदूर हड़ताल पर हैं। उन्होंने यह भी माना है कि यह हड़ताल 11 अप्रैल से चल रही है। स्पष्ट है कि मजदूरों को मजूरी नहीं मिल रही है। वे और उन का परिवार इस समय भुखमरी के द्वार पर खड़ा है। अध्यक्ष जी, हड़ताल के कारण मजदूर प्रति दिन तीन लाख रुपये की मजूरी खो रहे हैं, सरकार का भी सवा लाख रु० का ऐक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। अगर उत्पादन का हिसाब लगाया जाय तो प्रति दिन 15 लाख रु० के उत्पादन की क्षति हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हू कि सरकार मिल मालिकों पर दबाव डाल कर 30 रु० प्रति मास अन्तरिम सहायता के रूप में दिया जाय यह बात उन से मनवाने के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? सरकार मानती है कि मजदूरों की माग उचित है, सरकार यह भी मानती है कि दिल्ली के कपड़ा मजदूरों को कानपुर और बम्बई की तुलना मे बहुत कम वेतन और मजूरी मिलती है। फिर सरकार के मार्ग मे कौन सी बाधा है जिस से वह मजदूरों की उचित माग को नही मनवा पा रही है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हू कि इन मे मे एक मिल अयोध्या टैक्सटाइल मिल स्वयं सरकार के कब्जे मे है। सरकार स्वय हो कर उस मिल के मजदूरों को 30 रु० प्रति मास की इंटरिम रिलीफ़ क्यों नहीं दे देती? क्या यह प्राइवेट मिल मालिकों के सामने एक आदर्श रखना नहीं होगा? और अगर सरकार स्वय अपनी मिल की मजदूरों को 30 रु० प्रति मास अन्तरिम सहायता दे देगी तो बाकी के मिल मालिकों को भी सहायता देना रोकना असम्भव

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हो जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार के कब्जे में जो मिल है और जो मिल प्राइवेट पूंजीपति चला रहे हैं, उन में कोई अन्तर होगा कि नहीं होगा ?

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) · This is a sick mill.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय बीमार है तो जरा इंजेक्शन दीजिए। लेकिन मजदूरों को भी इंजेक्शन दीजिए।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय ने कहा है कि वह अलग अलग मजदूर संगठनों से बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि सारे मजदूर संगठनों का अभी तक कोई राउन्ड टेबिल सम्मेलन नहीं किया गया ? मजदूर संगठनों में यह आशंका व्याप्त है, कपड़ा मजदूर भी यह अनुभव कर रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से मामला हल कराना नहीं चाहती। वह केवल आई०एन०टी०यू०सी० के संगठन को आगे बढ़ाना चाहती है। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पहले मजदूर संगठनों ने तय किया था कि 18 अप्रैल से हड़ताल होगी। लेकिन बाद में आई०एन०टी०यू०सी० की संगठन ने 11 अप्रैल से हड़ताल करने का फैसला कर लिया। मजदूरों में यह धारणा पैदा की गई कि अगर हड़ताल कर देंगे तो केन्द्रीय सरकार मजदूरों का साथ देगी, उन की मांग तुरन्त मान ली जायेगी। और अगर मांग मानी नहीं गयी तो केन्द्रीय सरकार मिलों को अपने हाथ में ले लेगी। अब मजदूर पूछ रहे हैं कि उस आश्वासन का क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मिलों के मजदूरों की ट्रेड यूनियन की प्रतिस्पर्धा में डालकर अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए अधिक उत्सुक है या मजदूरों की उचित मांगों को मिल-मालिकों से स्वीकृति कराने के लिए अधिक प्रयत्नशील है ?

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में 30 अप्रैल घटनाओं का भी उल्लेख किया है। 30 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली में जो कुछ हुआ वह केन्द्रीय सरकार के माथे पर एक कलंक का टीका है। दक्षिण दिल्ली में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। दुकानें लूटी गईं, बसों में आग लगाई गई, यहां तक कि महिला कर्मचारियों को भी बेइज्जती करने की कोशिश की गई। पुलिस खड़ी देखती रही। पुलिस को टेलिफोन किया गया तो पुलिस बसों में आग लगाने से रोकने के लिए, बसों को बचाने के लिए नहीं आई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें आदेश दिया गया था कि हम मिलु[?]ग्राम को डिस्टर्ब करें। क्या इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक के जान माल की रक्षा करने के प्रारम्भिक कर्तव्य का सरकार पालन नहीं करेगी ?

मेरा आरोप है कि 30 अप्रैल को जो भी हुआ वह पूर्व-नियोजित था, पूर्व-संगठित था। उस में मजदूरों का हाथ नहीं था बाहर से गुंडे लाये गये थे जिन्होंने दुकानें लूटीं और सरकार (व्यवधान) अभी तक मैंने किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है लेकिन अगर सत्ताधारी दल के सदस्य मुझे मजबूर करेंगे तो मुझे सारी बातें कहनी पड़ेंगी। उस दिन मजदूरों की टोली का नेतृत्व दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन में कांग्रेस के लीडर श्री किशोर कर रहे थे।

कुछ माननीय सदस्य : गलत है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी · आप सुनना भी नहीं चाहते। दो ट्रकों में भर भर गैर-मजदूर फैक्ट्री के सामने लाये गये। (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि अब सरकार इस हड़ताल को खुलवाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ? क्या यह सच है कि मिल मालिक 20 रुपये की अन्तरिम सहायता देने के लिए तैयार हैं ? क्या यह सच है कि कल की मिल-मालिकों और श्री रघुनाथ रेड्डी में चर्चा हुई थी ? अगर चर्चा हुयी थी तो इस वक्तव्य में उस का हवाला क्यों नहीं है ? जो वक्तव्य राज्य सभा में दिया गया था वही लोक सभा में दिया गया है। चौबीस घंटे बीत गये हैं। हजारों मजदूर हड़ताल पर हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार सो रही है, दिल्ली का प्रशासन खर्राटे

ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल को जल्दी से जल्दी खत्म कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मजदूरों की एक राउन्ड टेबल कांफरेंस भी बुलाने जा रही है जहां मालिकों के साथ बैठ कर उन से बात चीत की जायेगी और उन्हें मजदूरों की उचित मांगे मानने के लिए तैयार किया जायेगा ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में दिल्ली के किसी भी भाग में दूकानें लूटने की घटनायें न हों, समाज-विरोधी तत्व नागरिकों का जीवन असहाय न बनायें और पुलिस अपने कर्त्तव्य का पालन करे, इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ? क्या यह सच है कि सरकार ने मिल-मालिकों से कहा था कि अगर 29 अप्रैल तक समझौता नहीं किया गया तो 30 अप्रैल को जो परिस्थिति पैदा होगी उस के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, और इस लिए 30 अप्रैल को जानबूझ कर गड़बड़ करायी गई ? यह बात अलग है कि वह गड़बड़ करने वालों की खिलाफ गई, उस से मजदूरों का भला नहीं हुआ। नागरिक मजदूरों के खिलाफ हो गये, लेकिन पुलिस का काम है शांति और व्यवस्था की रक्षा करना। उस व्यवस्था की रक्षा के दायित्व में पुलिस विफल रही। इस की जिम्मेदारी कौन लेगा ?

आखिरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अयोध्या मिल के मजदूरों को तत्काल 30 रुपये की अन्तरिम राहत देने में कौन सी कठिनाई है ? इस बात को भी श्रम मंत्री स्पष्ट करने की कृपा करें।

SHRI RAGHUNATHA REDDY : It is true that the INTUC union has taken the lead and I think Shri Vajpayee should congratulate the INTUC for having taken the cause of the workers much in advance of others. There cannot be any cause for complaint about it. Now the situation is this. All the unions are demanding Rs. 30 as interim relief. Therefore, as far as the demands of the unions are concerned, there is no difference and all the unions are united in making this move.

I do not want to go into the controversial questions because Shri Vajpayee knows my views.

Shri Vajpayee had mentioned that I did not mention about the negotiations that were taking place with the representatives of workers and employers.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I did not say that. I asked why you could not have a round table conference.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : In the statement I have mentioned :

> "Deputy Labour Minister and the Union Labour Minister have also held several rounds of discussions with the workers' and employers' representatives in an effort to bring about a reasonable settlement".

Therefore, it is not as if no negotiations are being held. Discussions were held with the representatives of trade unions and also employers.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Only severally; not jointly.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : At the proper time we may consider the possibility of bringing the representatives of all the employees and employers together at the table for discussion to settle the problem. We are not ruling out that thinking. We are considering how to do it as early as possible, if the situation permits.

With reference to the law and order situation, of which the hon. Member has made a mention, I do not want to go into the details of this question because it is a matter which pertains to the domain of the Home Ministry. However, as far as this question is concerned, it is not ruled out that unsocial elements and some other elements, inspired by some other persons interested in it, have indulged in this kind of

[Shri Raghunatha Reddy]

violence. It cannot be said that the textile workers are responsible for this. I want this to be made clear.

In regard to the action that has been taken for dealing with the situation in Naraina and Mayapuri, the police have made some arrests. According to the information available, 154 persons have been arrested on the same day from this area. 34 cases have been registered and are under investigation. Where they thought it necessary, they always resorted to fire arms and tear gas. As far as the law and order situation is concerned, I am informed that the situation is very peaceful. Nevertheless, the Delhi Administration officers are very vigilant about it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about the Ayodhya Mills?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : As far as the Ayodhya Mills is concerned, it has been taken over as a relief operation. It was a sick mill which was about to go into liquidation. For the purpose of ensuring employment by bringing it back to health the Government thought it necessary to take over. This matter stands on a different footing. Anyway, I will discuss this matter also with the Minister of Industrial Development.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या मिल के संबंध में जो अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि वह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से बात करेंगे, उस के बारे में मैं चाहूंगा कि जो फैसला सब मिलों के मालिक और मिल के मजदूर करें वह अयोध्या मिल पर भी लागू हो।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा पीसफुल स्ट्राइक दिल्ली में हुआ वैसा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ। 11 अप्रैल को हड़ताल का नारा तकरीबन सभी मजदूरों ने दिया। कुछ लोग 18 तारीख को चाहते थे। उस में कुछ राजनीतिक दबाव थे। लेकिन 11 तारीख को हुई और बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक हुआ। सभी लोग मिल कर एक साथ 30 रुपये की डिमान्ड कर रहे हैं और आरबिट्रेशन की बात कर रहे हैं। मुझे आशा है कि समझौता जल्दी होगा, लेकिन मिल-मालिक जो हैं वह अभी समझौते के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने उन से कई बार बात की है, श्रम मंत्री जी ने बात की है, उप-श्रम मंत्री ने बात की है। बड़े प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन वह एडामेंट हैं। उन का ख्याल है कि एक जगह आठ महीने से हड़ताल चल रही है, दूसरी जगह कई-कई महीनों से चल रही है, इस लिये वह भी इसकी परवाह क्यों करें। डी सी एम केमिकल्स में एक दिन की हड़ताल हुई। वहां के 4,000 मजदूर भी 27,000 मजदूरों के हमदर्द हैं। 30 तारीख की हड़ताल का नारा जो था वह सी पी एम के लीडरों ने दिया था। वह बहुत पीसफुल्ली मोतीनगर की तरफ जा रहे थे। वहां पहले से ही कुछ लोग तैयार थे। एक सोडावाटर की दुकान पर झगड़ा शुरू हुआ। वहां कहा गया कि अगर हड़ताल की जायेगी, या हड़ताल करने के लिए कहा जायेगा, तो हम चाकुओं से उस का मुकाबला करेंगे। मायापुरी में एक प्रैस के अंदर से किसी ने गल्ती से गोली चला दी, जिस से दो मजदूर घायल हो गये। लक्ष्मण-सिल्वेनिया में हड़ताल चल रही थी। कुछ लोग ग्रुप बना कर वहां गये और उन्होंने मजदूरों की बीस साइकलें जला दीं और वीरपाल सिंह को चाकू से मारा। कई दूसरे लीडर्ज को भी मारा गया और मजदूरों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई।

30 अप्रैल को जो जलूस आ रहा था, उस को आढ़तियों और उन के बेलदारों ने ईदगाह, जी० बी० रोड और लाहौरी गेट पर रोका। खुद पुलिस अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मजदूर बिल्कुल शान्त थे और जब झगड़ा होने लगा, तो उन्होंने रास्ता बदल दिया। कुछ किराये के लोग, प्रोफ़ेशनल लोग, बराबर मजदूरों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीनगर में एक मीटिंग हुई, जिस में कुछ प्रगतिशील लोग भी बोले और कुछ रीएक्शनरी भी बोले। वहां कहा गया कि व्यापारियों को संगठित होना चाहिये और लाठियों और चाकुओं से मजदूरों का मुकाबला करना चाहिए। सरकार

ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की है । जिन लोगों ने वीरपाल सिंह को मारा, सरकार उन के ख़िलाफ़ कार्यवाही करे । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जब कि 127 मज़दूर गिरफ्तार कर लिये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मज़दूरों को भड़काया और प्रोवोक किया, उन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ।

1 मई को आढ़तियों, व्यापारियों और मुनाफ़ाखोरों ने शहर में हड़ताल की । उस दिन इस किस्म की अफ़वाहें फैलाई गई कि हौज काज़ी, चांदनी चौक और मोतीनगर में गोली चली है । कुछ लोग, और कुछ संगठित संस्थायें, अफ़वाहें फैलाने में माहिर हैं । उन्होंने दिल्ली में केओस पैदा करने की कोशिश की । लेकिन मज़दूर फिर भी शान्त रहे । अगर आईन्दा व्यापारियों द्वारा मज़दूरों की स्ट्राइक तोड़ने की कोशिश की गई, तो मज़दूर उसका जवाब देंगे । मज़दूर अब तक शान्त रहे हैं, लेकिन वे हमेशा शान्त नहीं रह सकते हैं । जो लोग मोतीनगर में हड़ताल का बिल्ला लगा कर निकले, उन को छुरा मारा गया । फिर भी मज़दूर शान्त रहे ।

आज पैंतीस हज़ार मज़दूर स्ट्राइक पर हैं और दिल्ली में एक लाख मज़दूर उन की मांगों का समर्थन कर रहे हैं । मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है कि सब कनसर्न्ड पार्टीज आपस में मिल कर इस बारे में फ़ैसला कर लें । लेकिन अगर मालिक नहीं मानते हैं, तो सरकार को उनके कारखानों को ले लेना चाहिए और कोई तरीका नहीं है । आज मालिकान बात नहीं करना चाहते हैं । वे कहते हैं कि स्ट्राइक भले ही आठ महीने तक चले । या तो सरकार इस बारे में फ़ैसला कराये और या उन कारखानों को अपने हाथ में ले ले ।

पांच हज़ार मज़दूर भरतराम के घर पर डिमांस्ट्रेशन करने के लिए गये । पुलिस के सैकड़ों आदमी वहां मौजूद थे । कोई भी नहीं कह सकता है कि भरतराम के घर पर पत्थर फेंके गये । इस के बावजूद पुलिस मिल-मालिकों की रक्षा करे, सरकार टैक्स-पेयर्ज़ के पैसे से मुनाफ़ाखोरों की रक्षा करे और मज़दूरों पर छुरों से हमला किया जाय, यह उचित नहीं है । जिन लोगों ने मज़दूरों पर हमले किये हैं उन को सज़ा मिलनी चाहिए । जो लोग मज़दूरों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिए और इस सारे मामले की जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिए । इस सिलसिले में श्री किशोरीलाल का ज़िक्र किया गया है । वह तो 30 अप्रल को वहां थे ही नहीं । लेकिन फिर भी इस सारे मामले की जुडिशयल एनक्वायरी होनी चाहिए । अगर श्री विजयकुमार मलहोत्रा दोषी पाए जाते हैं, तो उन को सज़ा मिलनी चाहिए और अगर श्री किशोरी लाल का दोष साबित होता है, तो उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए । मैं मांग करता हूं कि इस सारे कांड की, मज़दूरों पर हमला किये जाने की, जुडिशयल एनक्वायरी की जानी चाहिए ।

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I would make a humble submission that all citizens are entitled to protection, to whichever class they may belong.

With regard to the role of the unsocial elements, to which the hon. Member has drawn our attention, it is just possible that, in a situation like this, unsocial elements could have been brought into action in order to break the morale of the strikers. This is a matter that has to be looked into by the Delhi Administration and the Home Ministry. I will bring these matters—mentioned by Shri Shashi Bhushan—to the notice of the Delhi Administration and the Home Ministry for appropriate action.

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, बाईस दिन से यह हड़ताल चल रही है और सब यूनियनें उस का समर्थन कर रही हैं। उन की एक ही मांग है कि उन को 30 रुपया इनटेरिम रिलीफ़ दिया जाये । सब लोग इस बात को मानते हैं कि यह स्ट्राइक पीसफुल रही है । श्री वाजपयी ने भी इस बात को माना है और श्री शशि भूषण ने भी माना है । मगर कुछ लोग इससे पोलीटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश

कर रहे हैं । आप जानते हैं कि चरतराम और भरतराम और बिड़ला की मिलों में स्ट्राइक हो रही है । बहुत से लोग—वे उन के एजेन्ट भी हो सकते हैं—इस से पोलीटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में तमाम यूनियनों से मिल कर बात करने और मिल-मालिकों को उन की मांगें मंजूर करने के लिए मजबूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की है । हमारा यकीन है कि अगर मजदूर इकट्ठे हो कर लड़ें जैसा कि बंगाल की जूट मिलों और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में हुआ तो मिल-मालिकों को उन की मांग माननी पड़ेगी और दुनिया की कोई ताकत इस में रुकावट नहीं डाल सकती है । मजदूरों की मांगें जायज हैं और उनकी मांगों को मानना पड़ेगा । सरकार को चाहिए था कि वह मिल-मालिकों को मजदूरों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करती ।

मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ... अप्रैल को जो कुछ हुआ उस में मजदूरों का कोई हाथ नहीं है । बाहर से गुंडे लाये गये ताकि दिल्ली की जनता में मजदूरों को बदनाम किया जाय और उन को जनता से अलग-अलग कर दिया जाये । मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वह ला एंड आर्डर के बारे में होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे । उन को पहले ही ऐसा करना चाहिए था । इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि इस मामले में किन लोगों का हाथ है और चाहे कोई भी हो चाहे वे लोग हों जिन का जिक्र श्री वाजपेयी और श्री शशि भूषण ने किया है, उन को सज़ा मिलनी चाहिए । हर जगह और हर सरमायादार के पास कुछ प्रोफेशनल गुंडे होते हैं, जिन का हड़तालों को फेल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है । मिल-मालिकों के जिन एजेंटों ने इस में हिस्सा लिया है, हाउस को उन के नाम बताये जाने चाहिए ।

मैं श्री शशि भूषण की इस बात से सहमत हूं कि हालांकि काफ़ी दिन से यह स्ट्राइक चल रही है, लेकिन मिल-मालिक एडामेंट हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है । सरकार उन मिलों को टेक-ओवर करे । इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । मजदूरों की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए । मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह एक मीटिंग बुला रहे हैं । इस बारे में बहुत देर नहीं करनी चाहिए । सरकार को मिल-मालिकों को मजदूरों की जायज मांग को मानने के लिए मजबूर करना चाहिए, वर्ना वह उनकी मिलों को टेक-ओवर करने का फैसला करे ।

SHRI RAGHUNATHA REDDY . It is rather unfortunate that the hon. Member has mentioned names He could have avoided mentioning names because mentioning names is uncalled for without an opportunity being afforded .

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) He is asking you to mention the names

SHRI S M BENERJEE (Kanpur) . Charat Ram, Bharat Ram and Birla are the owners

SHRI RAGHUNATHA REDDY As far as negotiations are concerned I have already submitted that several rounds of discussions were held with the representatives of the trade unions and also the employers The trade union representatives have presented their case with the force of logic and also with a considerable sense of social justice that Rs 30 would be their minimum demand

But equally, the employers are putting forward their case on questions of law . *(Interruptions)* Therefore, we have been trying to discuss with the representatives of both the employers and the employees to find out a common ground so that we can settle the issue .

SHRI DINEN BHATTACHARYYA You are a silent spectator.

SHRI RAGHUNATHA REDDY . At least the representatives of the trade unions belonging to the persuasion of my

hon. friend will not agree that we have been a silent spectator.

We have been trying to take every step possible to resolve this matter. Still it is our effort and it may be necessary and we are trying our best to bring about a settlement and the suggestion made that all the employers and the employees must be brought to a common table for discussion is also under our consideration. As I said, at the appropriate time, this will be acted upon.

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि अगर मजदूर अपनी स्ट्राइक न तोड़ें और उन में कोई फूट न पड़े तो मिल मालिक कुछ अपने किराये के आदमी ला कर उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कोई छोटी मोटी कार्यवाही जरूर करें। इसी तरह दिल्ली में हुआ। अभी भाई अटल बिहारी साहब ने कांग्रेस पार्टी के म्युनिसिपल कौंसिल के लीडर किशोर साहब का नाम लिया। मैं उन को बताना चाहता हूं नया बाजार में जब वर्कर जलूस में जा रहे थे तो किस की दुकान से लाठियां निकलीं? बाद में लाठियां किसने तकसीम कीं? वह किस पार्टी के वर्कर थे? मायापुरी में जिस फैक्ट्री से गोलियां चलाई गईं और सोडा वाटर की बोतलें फेंकी गईं वह किस पार्टी के वर्कर थे? . (व्यवधान) मोतीनगर में खेड़ा रेस्टोरेंट किस का है?

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) कांग्रेस का।

श्री सतपाल कपूर : कांग्रेस का? तो लाओ हमें चार्ज दो।

खेड़ा रेस्टोरेन्ट जनसंघ के वर्कर्स का है। वहां से सोडा वाटर की बोतलें फेंकी गईं और जनसंघ के म्युनिसिपल कौंसिलर सिकन्दरपुरी सब से आगे आग लगाने में थे? सिलवालिया फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का कैम्प किस ने फुंकवाया? सिकन्दरपुरी ने जो जनसंघ के म्युनिसिपल कौंसिलर हैं और धर्मपाल सिंह को छुरे किस ने मरवाये? .. .(व्यवधान)... इन तमाम बातों की एन्क्वायरी होनी चाहिए। मैंने नाम लिए हैं सब के। .. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। देखिए जब उस तरफ से शुरू होता है तो आप सब से ज्यादा चिल्लाते हैं। आप बैठिए और उस को बोलने दीजिए।

श्री शशि भूषण : जब अटल बिहारी जी किशोर साहब का नाम ले रहे थे तब इन्होंने कुछ नहीं कहा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ कहा गया उधर से तो बड़े मजे से सुन रहे थे और अब बोलने नहीं देते हैं। और आप देखिए जरा सब्र कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम ले नहीं रहा था तो इन्होंने कहा कि नाम लो, तब मैंने नाम लिया।

श्री सतपाल कपूर अखबारों में विजय कुमार मलहोत्रा का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम हर तरीके से मुकाबिला करेंगे। तो वह किस का मुकाबिला करेंगे और किस को प्रोटेक्ट करेंगे? मजदूरों का मुकाबला करेंगे और मिल मालिकों को प्रोटेक्ट करेंगे। यह इन की पार्टी का पालिटिक्स है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार दुकानदारों को संरक्षण नहीं देगी तो दुकानदार आत्म-रक्षा करेंगे। (व्यवधान) .

श्री सतपाल कपूर : तो अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि सेकेंड वेज बोर्ड का जो डिसीजन है उस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया और कौन सी ऐसी पार्टी है, मैनेजमेंट है, वर्कर है, सरकार है, जो उस को मानने के लिए तैयार नहीं है?

दूसरा सवाल यह है कि क्या यह ठीक है कि कानपुर के टैक्सटाइल वर्कर्स को इंटेरिम रिलीफ के 26 रुपये दिए गए और दिल्ली वालों को वह अभी तक नहीं मिला?

तीसरी बात अगर मैनेजमेंट या दिल्ली की कपड़ा मिलों के मालिक आप के सुझाव को न मानें, आप की रेकमेंडेशन न मानें, आप की हिदायत न मानें तो क्या सरकार ऐसी किसी तजवीज पर गौर कर सकती है कि दिल्ली की इन तमाम मिलों के मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लें ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: With regard to the matters mentioned by the hon Member, regarding the law and order situation, he may perhaps put a question to the Home Minister who may be in a position to answer all these questions. Anyway I will bring them to the notice of the Delhi Administration and the Home Ministry.

With regard to the second wage board which the hon. Member has mentioned, in 1969, the unions had raise a dispute for increase in wages and dearness allowance Immediately thereafter, the recommendations of the Second Wage Board for Textile Industry were announced and the Government of India (*vide* their resolution No. WB/8(15) 68 dated 17-5-69) accepted these recommendations and directed the industry to implement them *in toto* As a result of negotiations held between the parties before the Labour Department of Delhi Administration in the matter of the dispute raised by the unions, a settlement was arrived at on 26-2-70 wherein the parties agreed to implement the majority recommendations of the Second Wage Board as accepted by the Government and to allow to the workers three advance increments in addition to the two increments due on 1-1-69 and 1-1-70. The parties also agreed that the question of adequacy of dearness allowance should be referred by the Delhi Administration to a Tribunal in the following words:—

"(i) What should be the minimum wage at Delhi in comparison to Rs. 30 at Bombay for the year 1939 for the purpose of calculating the grant of D.A. payable to the textile workers at Delhi;

(ii) What should be the rate of dearness allowance admissible to the textile workers of Delhi to provide 90 per cent neutralisation of the rise in the cost of living since 1939 to the lowest paid workers on the basis of the consumer price index prepared by the Labour Bureau, Simla."

As a result of the above said settlement, the Delhi Administration referred the abovesaid dispute to a Special Tribunal presided over by Shri S. B. Kapur, a retired Judge of the High Court. During the proceedings of the Tribunal, the unions raised a number of technical objections regarding the maintainability of the reference regarding DA. The Tribunal overruled the objections and held the reference to be competent. The unions went in a writ to the Delhi High Court who ordered a stay on 16 3 71. The stay order is in still in force and the matter is pending in the High Court. Since the Special Tribunal was appointed for a specific period, the dispute has since been transferred to Shri R K. Baweja, Industrial Tribunal That is the position as far as the Second Wage Board recommendations are concerned.

As far as Kanpur is concerned, as a result of what is popularly known as Tripathi formula, the DA of Kanpur workers has been raised by Rs. 26. It is true that Kanpur workers now get better wages than the Delhi workers

However, the suggestion of the hon Member has been noted.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): The workers' strike is now more than three weeks old. Even though the hon. Minister concedes that the demands of the workers are just, no effective steps have been taken so far. The Delhi Administration was not able to bring about a settlement. The hon. Minister has said in his statement that the Labour Minister had also held several rounds of discussions with the workers' and employers' representatives in an effort to bring about a reasonable settlement.

I would like to know what offers have been made from the side of the millowners, and whether they have offered to pay Rs. 20 as interim relief, and if so, the reaction of the workers' representatives.

Government assured protection to millowners from labour and get money and the same Government promise protection to the workers against exploitation by the millowners and get their votes, but fulfiling none of the promises. I want to know from the hon. Minister whether he is in a position to give an assurance that he would bring about a solution within a few days so that all this loot, violence and arson which is going on in one part of Delhi will be put an end to.

Coming to the question of law and order, it is a miserable and dismal failure on the part of the Delhi police that they were not able to maintain law and order. Once the Khosla Commission gave an indictment of the Delhi police and said that:

> "Delhi police is lacking in personality, integrity and leadership. The average constable was distrusted by the law and disliked by the people.".

Again, when there was police excess on the SSP demonstration, Mr. Jai Prakash Narain said:

> "The Delhi Police is unfit to be the guardians of law and order and protectors of the rights of the citizens.".

This has been going on for a long time, whether it be the Shahdara incident or the violence which was there when the Harijan girl was murdered. So far, Government have not come to the grip of the problem, and the police has not been able to tackle this looting, arson and violence.

Very recently, the president of the All India Women's Conference, Mrs. Lakshmi Reghuramaiah expressed her opinion and made a statement that there was no protection for ladies in the capital of India. I want to ask Government whether in the capital of India which is ruled by a lady there should be no protection to ladies. I do not want to produce any more prosecution witness against this Government. My one witness is enough, namely Mrs. Lakshmi Raghuramaiah, to prove that Government have failed to maintain law and order.

MR. SPEAKER: It may be some other Lakshmi Raghuramaiah.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): Ladies are also weaker sections.

SHRI G. VISWANATHAN: I want to know from the hon. Minister whether he is in a position to reply to this namely whether Government will reorganise the Delhi Police, which has been the demand for a long time. There is not even a commissioner for Delhi. In other metropolitan cities like Calcutta, Madras and Bombay, there is a regular Commissioner of Police, and there is an effective control room. In Madras, I have seen the police control room, and within five minutes, the police van will reach the disturbed spot. But there is no such arrangement here. I want that the Delhi police should be modernised and rationalised, and Government should do it immediately.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I deny the allegations made that Government make false promises to the millowners or the workers. That is not a correct statement of fact. As far as the offer of Rs. 20 is concerned, I do not know where from the hon. Member has got this news. So, far, I have not heard it, and nobody has told me, not the millowners; nobody has told me about the Rs. 20 offer so far. The offers made might be very much below, but nobody has told me about Rs. 20 offer.

As for the rest of the matters which the Hon. Member has mentioned with great eloquence, they are matters which he could have used for making a good speech on the Home Ministry's demands, instead of using this occasion for that purpose. Never-

[SHRI RAGHUNATHA REDDY]

theless, some of the allegations which he sought to make are strongly denied.

SHRI G. VISWANATHAN : Is he denying Shrimati Lakshmi Raghu Ramaiah ?

MR. SPEAKER : Let him consult her first and then say.

12.45 hrs.

RE QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): What about my motion of privilege, Sir ?

MR SPEAKER : I wish you could see this letter from Shri Madhu Limaye that I have received in response to your privilege motion.

SHRI K. P UNNIKRISHNAN I have not been given a copy

MR SPEAKER : That was in Hindi and I got it translated into English.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने कहा था कि हम इसको उठायेंगे। इस लिये मुझे पढ़ने की इजाजत दें, मैं अपने जवाब को पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय अगर आप सदन में पढ़ना चाहते हैं तो वह भी पढ़ लें। आप ने मुझे कहा था कि आप मुझे लिख कर भेज देंगे, मेरे पास अभी 10 मिनट हुए आया था, मैं हाउस में बैठा था, इस लिये उस पर काम नहीं कर सकता था। इस का थोड़ा बहुत रनिंग देखा है, आप ने भी इस को इधर उधर डाला है।

श्री मधु लिमये अगर यह सदन के सामने न आता तो अलग बात थी।

MR. SPEAKER : He does not understand Hindi. So I got it translated into English.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : He must be given a copy of it.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Yes.

श्री मधु लिमये : उन्होंने सदन में क्यों उठाया, इस लिये अब मैं सदन में बोलूंगा।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : A clear-cut charge has been made. He has to say whether it is correct or not. He should not be allowed to use this forum for any other purpose.

MR. SPEAKER : Do you want to see the reply in advance ?

SHRI K P. UNNIKRISHNAN : It is not necessary ; it is for you to decide

श्री मधु लिमये यह मामला सदन के सामने उठा है, अखबारों में छपा है, इस लिये मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय कल इनको मैंने कुछ कहने नहीं दिया। आप ने कहा था कि मैं जवाब भेजूंगा। अगर उन्नीकृष्णन जी अभी उठाना चाहते हैं तो उठायें।

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH (Phulpur) : On a point of order. When a member has been requested to confirm whether a report is correct or not, is he entitled to give a long explanation before saying 'yes' or 'no'?

SHRI MADHU LIMAYE Who are you to prevent me ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: We only want to know whether the statement is correct or not. That is the only question. There is no need for a long explanatory statement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, इस के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप दोनों सदस्यों को मौका दें कि वे अपनी बात सदन में कहें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि चूंकि श्री मधु लिमये जी का